UPAU010043602026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE **UP 2011**)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1094/2026

दिनेश कुमार पुत्र कालका प्रसाद निवासी ग्राम इकौरापुर, थाना औरैया, जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–444/2026
धारा–108 बी०एन०एस०
थाना– औरैया, **जनपद** औरैया

दिनांकः13.08.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1094/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 444/2026 अन्तर्गत धारा 108 बी०एन०एस०, थाना औरैया, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपार्ट वादी मुकदमा शैलेन्द्र सिंह ने थाना औरैया, जनपद औरैया में लिखित तहरीर देकर दिनांक 04.07.2026 को 18.59 बजे इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 29.06.2026 को समय करीब 10.00 बजे सुबह फोन कर प्रार्थी की सास कान्ती देवी ने प्रार्थी को अपने ग्राम इकौरापुर थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया बुलाया था क्योंकि प्रार्थी के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव के साथ दिनांक 29.06.2026 को सुबह 08.00 बजे गांव के दिनेश कुमार पुत्र कालकाप्रसाद, रेखा देवी पत्नी दिनेश कुमार, कालका प्रसाद पुत्र अर्जुन सिंह सर्वनिवासीगण इकौरापुर, थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया ने एकराय होकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी सूचना थाने में प्रार्थी की सास कान्ती देवी ने सुबह दी थी लेकिन दोपहर 03.00 बजे थाना हाजा पुलिस गांव जाकर समझा आई थी लेकिन विपक्षीगण नहीं मिले, उनके परिवारीजनों को समझा आई थी। दिनांक 29.06.2026 को शाम 05.00 बजे प्रार्थी व उसकी सास दरवाजे पर मौजूद थे। प्रार्थी के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव घर पर बकरी बांध रहे थे तभी उक्त विपक्षीगण प्रार्थी के ससुर को भद्दी भद्दी गालियां व अपशब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और कहने लगे कि साला मरता भी नहीं है, रोज रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है, मर जाये तो इससे हमेशा के लिए पिन्ड छूट जाये। विपक्षीगण की उक्त बातों से उन्हें बहुत मानसिक आघात पहुंचा और वे चुपचाप खेतों की तरफ चले गये जब रात तक वह वापस नहीं आये तब प्रार्थी व उसकी सास व अन्य लोगो ने उनकी खोजबीन की लेकिन शैलेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चला। सुबह गांव वालो ने बताया कि गिरेन्द्र सिंह का शव गांव के बाहर सरकारी ट्यूबवैल के कमरे के ऊपर फांसी से लटका हुआ है। सूचना पर प्रार्थी व उसकी सास व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो गिरेन्द्र सिंह को फांसी पर लटका पाया। प्रार्थी ने तुरन्त पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस मौके पर आई और पंचनामा भरकर पोस्टमोर्टम हेतु भेजा। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी के ससुर ने विपक्षीगण के द्वारा आये दिन मानसिक रूप से प्रताडित करने, गाली गलौज करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.13 15:25:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कारण ही फांसी लगाकर आत्महत्या की है क्योंकि पूर्व में कई बार उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी के ससुर के साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे चुके है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.01.2026 को थाना औरैया, मु०अ०सं० 30/2026, धारा 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० में पंजीकृत है। अब तक प्रार्थी अपने ससुर के अंतिम संस्कार में व्यस्त रहा, आज रिपोर्ट करने आया है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 108 बी०एन०एस० में अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रेखा देवी तथा कालका प्रसाद के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। वर्तमान मामले में विवेचना प्रचलित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है और उसे उपरोक्त अपराध में गलत फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 दिन विलम्ब से लिखायी गयी है। वादी मुकदमा मृतक का दामाद है, दामाद के आने बाद गांव व मुहल्ले की राय मशवरा के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में मृतक की पत्नी कान्ती देवी ने मु०अ०सं० 30/2026, धारा 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया था जिसमें प्रार्थी का पुत्र व प्रार्थी की पत्नी को अभियुक्त बनाया था, इसी रंजिश के कारण प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया है। उसने किसी प्रकार भी मृतक के साथ न कोई कहा सुनी हुई, न ही गाली गलौज हुई और उकसाया है, मृतक ने स्वयं सरकारी ट्यूबवैल पर आत्महत्या की है। सत्यता यह है कि मृतक के भाई की पूर्व में मृत्यु हो गयी थी और मृतक की भाभी कान्ती देवी ने उसके साथ पुनः शादी कर ली थी, मृतक व कान्ती देवी के मध्य आये दिन गाली गलौज व झगड़ा फसाद होता रहता था और मृतक ने स्वयं आत्महत्या कर ली है। उसने न ही मृतक के साथ गाली गलौज की है और न ही अपशब्दों का प्रयोग किया है, न ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, न ही अपमानित किया, न ही मरने वाली बात कही है, और न ही मृतका आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। उसका न तो कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है और न ही वह सजायाफ्ता है। वह दिनांक 23.07.2026 से जिला कारागार, इटावा में निरुद्ध है। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव को अपशब्दो का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी मुकदमा के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमें का आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव को अपशब्दो का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी मुकदमा के ससुर गिरेन्द्र सिंह यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गिरेन्द्र की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण immediate cause Asphyxia, Due to Ante Mortem hanging होना उल्लेखित है। अभियुक्त द्वारा मृतक को मात्र अपशब्द कहे जाने का कथन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.07.2026 से जिला कारागार, इटावा में निरुद्ध है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 444/2026 अन्तर्गत धारा 108 बी०एन०एस०, थाना औरैया, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानती सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

<u>दिनांक–13.08.2026</u>

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।
J.O CODE– UP 2011